दिनांक 25.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 44/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद देवरिया/थाना कोतवाली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **पीली धातु की 01 चैन**
- **21 हजार 280 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 24.11.2025 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खोराराम पुलिया, रजला मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त गोविन्द कुमार उर्फ केदार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से पीली धातु की 01 चैन, 21 हजार 280 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद देवरिया के विभिन्न थानो में चोरी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है, गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गोविन्द कुमार उर्फ केदार निवासी ग्राम बरौली थाना भलुअनी जनपद देवरिया।

बरामदगी

1—पीली धातु की 01 चैन।

2—21 हजार 280 रूपये नगद।

3—01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बीटा—2

● 06 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी की 16 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 24.11.2025 को थाना बीटा—2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर चाई—4 के पास से 06 अभियुक्तों 1—राहुल 2—रोहित 3— सुमित 4— संदेश 5—सचिन 6—अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 16 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राहुल के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग, अभियुक्त रोहित के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त सुमित, संदेश, सचिन व अर्जुन के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 06—06 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बीटा—2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी घोड़ी बछेड़ी, थाना दादरी कमिश्नरेटगौतमबुद्धनगर।

2—रोहित निवासी घोड़ी वछेड़ा, थाना दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3—सुमित निवासी सोठा, थाना बावली जनपद शामली हालपता कस्बा व थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

4–संदेश निवासी ग्राम वाड़ा कलेना, थाना खुर्जा जनपद बुलंदशहर, हालपताः सेक्टर म्यू–2, थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

5–सचिन निवासी कस्बा व थाना कुंडा, जनपद प्रतापगढ़, हालपताः ओमीक्रोन–3, थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

6–अर्जुन निवासी ग्राम जट्टारी, थाना खैर जनपद अलीगढ़, हालपताः चाई–3, थाना बीटा–2 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 16 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद मथुरा/थाना वृन्दावन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मथुरा द्वारा थाना वृन्दावन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि समकक्ष धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कन्हैया को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद ललितपुर/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 58 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद ललितपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद ललितपुर द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354/506 भादवि व 6 एवं 10 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अनिल को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 58 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद पीलीभीत/थाना सेहरामऊ उत्तरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद पीलीभीत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद पीलीभीत द्वारा थाना सेहरामऊ उत्तरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/376(3)/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शमशाद को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कुशीनगर/थाना को0पडरौना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना को0पडरौना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त वलीजान को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना हरैया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना हरैया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त हिमालय को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।